न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सिंचाई प्रकरण संख्या 03/2025 (GCMS : 2025/507)

भजन सिंह पुत्र जंगीर सिंह उम्र 62 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 29 जीबी तहसील श्रीबिजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये अधिशासी अभियंता**, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर
2. **अधीक्षण अभियंता,** जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर
3. **शिमिष छाबड़ा** पुत्र श्री धर्मेन्द्र छाबड़ा, साकिन 29 जीबी तहसील श्रीबिजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>15.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अशोक कुमार को बार–बार आवाज लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 25.11.2025 से विचाराधीन है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि भजन सिंह ने यह पैटीशन अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर द्वारा राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम तथा नियम के प्रावधनों की पालना किये बिना पैटीशनर के मुरब्बा नम्बर 28/24 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 प्रत्येक में खाला चालू करने संबंधी जारी नोटिस क्रमांक राजस्व/2023/29 जी.बी. ए/3377–79 दिनांक 14.12.2023 को निरस्त करने हेतु पेश की है।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर के नोटिस क्रमांक राजस्व/2023/29 जी.बी. ए/3377–79 दिनांक 14.12.2023 के विरूद्ध राजस्थान जल सिंचन एवं निकाय अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत पेश की गयी है। चूंकि **राजस्थान जल सिंचन एवं निकाय अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत केवल मात्र नियम 4(2)** के तहत जारी नोटिस के विरूद्ध ही 30 दिवस में जिला कलक्टर को पैटीशन की जा सकती है जबकि इस प्रकरण में अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर के नोटिस क्रमांक राजस्व/2023/29 जी.बी. ए/3377–79 दिनांक 14.12.2023 के नोटिस जारी करने के बाद, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 13.10.2025 को अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 13.10.2025 के विरूद्ध प्रार्थी भजन सिंह ने अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपील संख्या 47/2025 पेश की, जिसमें अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 17.10.2025 को निर्णय

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पारित कर अपीलांट की अपील अस्वीकार कर अधिशाषी अभियंता के आदेश दिनांक 13.10.2025 को पुष्ट किया जा चुका है। इसलिए यह पेटीशन धारा 24 के अन्तर्गत चलने योग्य न होने के कारण खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

चूंकि इस मामले में सिंचाई विभाग की सक्षम अथोरिटीयों द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जा चुके है, इसलिए यह पैटीशन निष्प्रभावी हो चुकी है और अन्तिम आदेश होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए पैटीशन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण की यह पैटीशन क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर